न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2015/00153

गोविन्द लाल आत्मज भैरूलाल जाति माली निवासी रायपुरा कोटा हाल निवासी कुन्हाडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

गोपाल आत्मज भैरूलाल जाति माली निवासी रायपुरा कोटा हाल निवासी बालापुरा कुन्हाडी कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामरतन मीणा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री बृजनारायण शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 19.03.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 284 की 0.46 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा है । प्रार्थी 1/2 हिस्से की भूमि का खातेदार कृषक है । अप्रार्थी कम 01 प्रार्थी का भ्राता एवं सहखातेदार है । अप्रार्थी कम 01 लडाकू किस्म का व्यक्ति है और प्रार्थी को उसके हिस्से 1/2 की भूमि पर काश्त में व्यवधान उत्पन्न करता है तथा ताकत के बल पर प्रार्थी को उसके उपयोग व उपभोग से वंचित करने पर आमादा है ।

ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी पर तहसीलदार को रिसीवर नियुक्त करना आवश्यक हो गया है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी पर तहसीलदार, लाडपुरा को रिसीवर नियुक्त किया जावे ।

4. अप्रार्थी कम 01 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनो को अस्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31.07.2015 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.07.2015 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पत्ति है जिसमें प्रार्थी अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा निहित है । अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट के उसके 1/2 हिस्से की भूमि पर काश्त करने में व्यवधान उत्पन्न करते हैं । रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन कराने के लिए भी तैयार नहीं है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थी अपीलान्ट के पक्ष में है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.07.2015 निरस्त फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी पर रिसीवर नियुक्त किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण के द्वारा धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा पेश किया गया था और यह प्रार्थना की थी कि वादग्रस्त आराजी पर रिसीवर नियुक्त किया जावे । अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के शामलाती खाते की आराजी ग्राम रायपुरा तहसील लाडपुरा में खसरा नम्बर 284 की रकबा 0.46 हैक्टर स्थित है जिसमें अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा और रेस्पोडेन्ट का 1/2 हिस्सा निहित है । आराजी पुश्तैनी है अपीलान्ट सरकारी कर्मचारी है । रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट को 1/2 हिस्से पर काश्त नहीं करने देते, आराजी के उपयोग एवं उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, लडाई–झगडा एंव मारपीट करने पर आमादा रहते हैं । अतः तहसीलदार लाडपुरा को रिसीवर नियुक्त किया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की जो शामिल मिसल की गई । रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश किया है । अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट की अन्य ग्राम में भी आराजियात है जिसकी जमाबन्दी की नकलें रेस्पोडेन्ट ने पेश की हैं उन जमाबन्दी की नकलों के अनुसार समस्त आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है और

समस्त आराजियात को शामिल नहीं किया गया है । इस कारण अपीलान्ट का यह दावा एवं प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं है । संयुक्त खाते की आराजी है जिसमें एक सहखातेदार को बेदखल कर रिसीवर नियुक्त नहीं किया जा सकता । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा रेस्पोडेन्ट का है । वादग्रस्त आराजी पारिवारिक समझौते से बंटवारे के अनुसार रेस्पोडेन्ट क्रम 01 के हिस्से में आई है जिस पर उनका निर्विवाद रूप से कब्जा चला आ रहा है । रेस्पोडेन्ट ने एक कमरा बनाया है, एक दुकान का निर्माण किया है, हैण्डपम्प एवं बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है । रेस्पोडेन्ट अपने परिवार सहित वहॉ निवास कर रहा है । अपीलान्ट का इस आराजी पर कब्जा नहीं है। प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अपीलान्ट के पक्ष में नहीं है । आराजी इनमिडियो नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनाक 31.07.2015 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अपीलान्ट के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी पेश नहीं की गई है ।

11. रेस्पोडेन्ट की ओर से कुछ फोटोग्राफ की प्रतियॉ पेश की गई हैं, फोटो प्रति मिलान क्षेत्रफल संवत् 2038 से 2057, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2047–50 ग्राम रायपुरा पेश की गई है जिसमें अंकित नामान्तरकरण के नोट के अनुसार खसरा नम्बर 284 की रकबा 0.46 हैक्टर आराजी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के संयुक्त खाते में दर्ज करने के आदेश हुए हैं । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2034–37 पेश की गई है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 173 की रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा आराजी गेन्दीलाल, करण प्रसाद, पांच्या बेटे गजानन्द व गोपाल व बाबू पुत्र भैरू हिस्सा 1/2 दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2067–70 पेश की है जिसके अनुसार 02 किता की 0.18 हैक्टर आराजी वाके ग्राम रायपुरा भैरू पुत्र गोपी हिस्सा 1/6, बद्रीलाल, सत्यनारायण हिस्सा 1/6, रामकरण, मोतीलाल, रामप्रसाद, पांचू लाल पिसारान गजानन्द व गोपाल, गोविन्द लाल पिसारान भैरू हिस्सा 1/3, कान्ताबाई हिस्सा 1/3 दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2067–70 पेश की है जिसके अनुसार वाके ग्राम रायपुरा की खसरा नम्बर 360 की रकबा 0.30 हैक्टर आराजी अन्य सहखातेदारों के साथ गोपाल, गोविन्द लाल पिसरान भैरू का 1/5 हिस्सा दर्ज है ।

12. इस प्रकार पत्रावली पर रेस्पोडेन्ट की ओर से जो फोटो प्रतियॉ नकल जमाबन्दी पेश की गई हैं उनके अनुसार पक्षकारान की विवादित आराजी के अलावा तहसील लाडपुरा में अन्य भी आराजियात है जो अन्य सहखातेदारों के साथ संयुक्त खाते में दर्ज है । अपीलान्ट का यह कथन है कि उनके द्वारा खसरा नम्बर 284 की रकबा 0.46 हैक्टर आराजी के लिए विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है जबकि विभाजन के दावे में पक्षकारों की समस्त संयुक्त खाते की आराजियात को शामिल करते हुए समस्त सहखातेदारों को पक्षकार बनाते हुए दावा पेश किया जाना अनिवार्य होता है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट और रेस्पोडेन्ट के संयुक्त खाते की है जिसमें काबिज सहखातेदार को बेदखल कर रिसीवर नियुक्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि रिसीवर नियुक्त करना एक कठोरतम व्याधि होता है । अपीलान्ट के द्वारा अपने दावे में अन्य अराजियात को शामिल नहीं किया गया है इस कारण भी उनका धारा 53

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा मेन्टेनेबल नहीं है और इस दावे के साथ पेश किये गये प्रार्थना पत्र में भी तद्नुसार कोई सहायता प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.07.2015 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 19.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19/3/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा